भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 49 का उत्तर

रेल अवसंरचना के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

*49. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री राजेश वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेल में सुरक्षा, कार्यकुशलता और परियोजना निष्पादन बेहतर करने के लिए अनेक सुधार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) रेल अवसंरचना के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किए जाने के प्रमुख उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारतीय रेल और जोनल रेलवे में क्रमश: बहु-विषयक गति शक्ति निदेशालयों और इकाइयों की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अवसंरचना संबंधी अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से तैयार किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या महाप्रबंधकों और डीआरएम की संस्वीकृत शक्तियों में वृद्धि, कवच और रोलिंग ब्लॉक्स जैसे सुधारों से भारतीय रेल परियोजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

दिनांक 23.07.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 49 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): भारतीय रेल में सुधार लाना एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा और दक्षता बढ़ाने, यात्री अनुभव में सुधार लाने, नेटवर्क विस्तार में तेज़ी लाने आदि के लिए ये सुधार कार्य किए जाते हैं। हाल ही में, भारतीय रेल में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं: -

(i) गति शक्ति निदेशालय/इकाइयाँ: परिवहन क्षेत्र से संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए अक्टूबर, 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महा योजना (एनएमपी) शुरू की गई थी।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को तुरंत आत्मसात कर लिया है। मौजूदा संसाधनों का उपयोग करते हुए, भारतीय रेल में एक बहु-विषयक गति शक्ति निदेशालय बनाया गया है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय रेलों में गति शक्ति इकाइयाँ बनाई गई हैं। सभी हितधारकों और अन्य अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों से परामर्श के बाद परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

उपरोक्त पहलकदमियों से परियोजनाओं के मूल्यांकन/स्वीकृति प्रक्रिया और निष्पादन में तेजी आई है।

(ii) महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु संवर्धित शक्तियां प्रदान करना: परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु शक्तियां बढ़ा दी गई हैं।

(iii) अनुबंधों को अंतिम रूप देना और प्रबंधन: निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए महाप्रबंधकों को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी एवं त्वरित अनुबंध प्रबंधन और ठेकेदारों की बिलिंग के लिए कार्य अनुबंध प्रबंधन प्रणाली (आईआरडब्ल्यूसीएमएस) और ठेकेदारों के लिए ई-एमबी को लागू किया गया है।

(iv) कवच का विकास और कार्यान्वयन: रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार लाने के लिए, भारतीय रेल में कवच को राष्ट्रीय स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। भारतीय रेल में कवच के कार्यान्वयन का कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया है।

(v) समपारों को समाप्त करना: रेलगाड़ी परिचालन और सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षा में सुधार लाने के लिए, बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण द्वारा चरणबद्ध तरीके से चौकीदार वाले सभी समपारों को प्रतिस्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

(vi) स्टेशन पुनर्विकास: भारतीय रेल ने यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्रदान करने और रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ी परिचालन की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,337 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शुरू किया जा चुका है।

(vii आधुनिक रेलगाड़ियों की शुरुआत: यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक वंदे भारत रेलगाड़ियाँ, अमृत भारत रेलगाड़ियाँ और नमो भारत रैपिड रेल शुरू की गई हैं।

(viii) भारत गौरव रेलगाड़ियाँ: भारतीय रेल ने भारत गौरव रेलगाड़ियाँ नामक थीम-आधारित पर्यटक सर्किट रेलगाड़ियाँ शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों और अन्य सक्षम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और भव्य ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है।

(ix) रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना: टिकटिंग सुविधा, खानपान इकाइयों आदि जैसे विभिन्न ग्राहक संपर्क केंद्रों पर डिजिटल भुगतान सुविधा शुरू की गई है।

(x) माल यातायात परिवहन: माल यातायात को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने मालभाड़े में छूट, सुनिश्चित व्यवसायों पर छूट, कम गमन दूरी संबंधी रियायतें, मिनी रेक लदान, माल शेडों का विकास, सामान्य प्रयोजन माल डिब्बा निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस), व्यवसाय विकास पोर्टल आदि के रूप में कई उदारीकृत प्रोत्साहन देकर बड़े सुधार किए हैं।

(xi) गति शक्ति कार्गो टर्मिनल: भारतीय रेल की माल लदान हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कार्गो टर्मिनलों हेतु अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने और उनकी स्थापना को सरल बनाने के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पहलकदमियां शुरू की गई हैं। अब तक, 112 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन किए जा चुके हैं।

(xii) रेलवे-भारतीय डाक एकीकरण से "संयुक्त पार्सल उत्पाद" विकसित करना: व्यवसाय संचालन हेतु दो सरकारी विभागों के बीच एक संयुक्त सहयोग पहलकदमी के रूप में, पार्सल सुपुर्दगी की एक संपूर्ण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें डाक विभाग द्वारा प्रथम-मील-अंतिम-मील संपर्कता और रेलवे के माध्यम से स्टेशन से स्टेशन तक मध्यवर्ती संपर्कता प्रदान की गई है।

(xiii) कोयला श्रृंखला समन्वय समूह: कोयला श्रृंखला में बड़ी संख्या में हितधारक शामिल हैं, जैसे कोयला कंपनियाँ, निजी और वाणिज्यिक खदानें, बंदरगाह, बिजली घर, उद्योग और भारतीय रेल। सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, रेल मंत्रालय में कोयला श्रृंखला समन्वय समूह स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(xiv) वार्षिक भर्ती कैलेंडर: भारतीय रेल ने भर्तियों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया है जिससे न केवल उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता और प्रतीक्षा अवधि कम होगी बल्कि रेलवे समय पर रिक्तियां भरने में भी सक्षम होगा।

(xv) रेल भूमि नीति: प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रणाली के अंतर्गत देश भर में तेजी से एकीकृत योजना और अवसंरचना के विकास को सक्षम करने हेतु रेलवे की भूमि पट्टा नीति को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए, दीर्घकालिक भूमि पट्टा नीति जारी की गई है।

(xvi) रोलिंग ब्लॉकों की शुरुआत: भारतीय रेल में वर्ष 2023 में राजपत्र अधिसूचना द्वारा रोलिंग ब्लॉकों की अवधारणा शुरू की गई है, जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन का कार्य रोलिंग आधार पर 52 सप्ताह पहले ही योजनाबद्ध किया जाता है और मंडलों द्वारा योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महा योजना का शुभारंभ होने से अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आया है। देश भर में व्याप्त राष्ट्रीय महा योजना के फलस्वरूप संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों के बीच आपसी सहयोग से रेलवे, जहाजरानी, सड़क मार्ग, दूरसंचार, पाइपलाइन आदि जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच तालमेल स्थापित हुआ है, जिससे परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियों के साथ-साथ योजना तैयार करने में तेजी आई है।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया है और अब सभी नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमोडाल संपर्कता अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महा योजना के अंतर्गत किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य एकीकृत नियोजन, संभार तंत्र की दक्षता में वृद्धि और यात्रियों, माल/पण्यों अर्थात कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि के निर्बाध परिवहन के लिए बाधाओं को दूर करना और स्थानों तक संपर्क सहित सेवाएं प्रदान करना है।

भू-सर्वेक्षणों, भूमि अभिलेखों, मार्ग संरेखण के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति संस्थागत प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और इससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और परियोजना लागत में कमी आई है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महा योजना के अंतर्गत रेल परियोजनाओं की व्यापक योजना और विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप, सेवाओं की स्वीकृति, परियोजनाओं की स्वीकृति और नई पटरियों के निर्माण/कमीशनिंग की गति में भी निम्नानुसार वृद्धि हुई है-

पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) और चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय रेल में कुल 61,462 किलोमीटर लंबाई के 892 अदद सर्वेक्षण (267 नई लाइन, 11 आमान परिवर्तन और 614 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय रेल में कुल 9,703 किलोमीटर लंबाई की 237 परियोजनाओं (40 नई लाइन, 17 आमान परिवर्तन और 180 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है, जिनकी लागत लगभग 1,90,333 करोड़ रुपए है।

भारतीय रेल में नए रेलपथ की कमीशनिंग/निर्माण का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	रेलपथ की कमीशनिंग	रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 किलोमीटर	4.2 किलोमीटर प्रतिदिन
2014-25	34,428 किलोमीटर	8.57 किलोमीटर प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

*****